


# न्यूज़ टुडे

## भारत को दूसरे विश्व कपास दिवस (7 अक्टूबर) के अवसर पर अपनी कपास के लिए प्रथम बार ब्रांड-नेम और प्रतीक चिह्न (logo) प्राप्त हुआ

- भारत की उन्नत किस्म (premium) की कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा।
  - कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, आभा, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा।
- भारत में कपास की सभी चार किस्मों अर्थात् गोसिपियम आरबोरियम, गोसिपियम हरबेसियम (एशियाई कपास), गोसिपियम बारबेडेंस (मिस्र का कपास) और गोसिपियम हिरसुटम (अमेरिकी उच्च भूमि कपास) की कृषि की जाती है।
- कपास खरीफ की फसल है और दक्कन के पठार की उच्च जलधारण क्षमता से युक्त काली कपासी मृदा (black cotton soil) में भलीभांति बढ़ती है।
  - इसके विकास के लिए 20-28 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान और 55-110 से.मी. वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए न्यूनतम 180 दिन तुषारमुक्त होने चाहिए।
- भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (विश्व कपास का 23% उत्पादन) और सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
  - भारत विश्व के कुल जैविक कपास (organic cotton) उत्पादन का लगभग 51% उत्पादित करता है।
  - इससे लगभग 6 मिलियन कपास किसानों को आजीविका प्राप्त होती है।
- भारतीय कपास निगम लिमिटेड (Cotton Corporation of India: CCI) ने मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप कॉट-एलाई (Cott-Allly) विकसित किया है।
  - CCI, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी प्रमुख भूमिका कपास के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित करना है।
- शीर्ष 10 कपास उत्पादक राज्य (वर्ष 2017-18) हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु।



## मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध सात दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (Persistent Organic Pollutants: POP) पर प्रतिबंध की पुष्टि की है

- वे 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं: क्लोरोडीकोन, हेक्सब्रोमोडीफिनाइल, हेक्सब्रोमोडीफिनाइल इथर (कमर्शियल ऑक्टा-बडे) टेट्राब्रोमोडीफिनाइल इथर और पेंटाब्रोमोडीफिनाइल इथर (कमर्शियल पेंटा-बडे), पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्सब्रोमोसाइक्लोडोडीकेन तथा हेक्साक्लोरोबूटाडीन।
- पुष्टि प्रक्रिया, भारत को राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (National Implementation Plan: NIP) को अद्यतन करने हेतु वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF) के वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
  - वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में स्थापित GEF, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिसमयों और समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकासशील देशों तथा संक्रमण में अर्थव्यवस्था वाले देशों को वित्त उपलब्ध करवाता है।
  - NIP का उद्देश्य स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत किसी देश के दायित्वों को पूर्ण करना है।
- स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POPs से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वैश्विक संधि है।
  - यह विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है।
- भारत ने वर्ष 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी।
  - पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2018 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) के तहत 'दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के विनियमन संबंधी नियमों' को अधिसूचित किया था।
- POP ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जीवित जीवों में जैव-संचयित (bio-accumulation) हो जाते हैं, मानव स्वास्थ्य/पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं और ये पर्यावरणीय रूप से अधिक दूरी तक गमन कर जाते हैं।
- POPs के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, ये केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंध रोगों, प्रजनन एवं बाल विकास संबंधी विकारों का कारण बन सकते हैं।

## सार्वजनिक स्थल पर विरोध-प्रदर्शन का अधिकार


- उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरुद्ध हुए विरोध-प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई पर "विरोध प्रदर्शन के अधिकार बनाम आवाजाही के अधिकार (Right to protest vs. Right to mobility)" के संबंध में निर्णय दिया है।
- निर्णय की प्रमुख विशेषताएं:
  - निर्णय में किसी कानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बनाए रखा है, परन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सार्वजनिक मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं किया जा सकता है और अनिश्चित काल के लिए तो कदापि नहीं।
  - लोकतंत्र में वाक्-स्वातंत्र्य और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार वास्तव में "मूल्यवान" रहे हैं, परन्तु ये युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन भी हैं।
  - मूल अधिकारों का पृथक अस्तित्व नहीं है। विरोध-प्रदर्शनकर्ताओं के अधिकार को यात्रियों (आवागमन करने वालों) के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा।
  - यह भी उल्लेख किया गया कि सोशल मीडिया चैनल प्रायः खतरनाक सूचनाओं से भर जाते हैं तथा अत्यधिक असामंजसपूर्ण परिवेश का निर्माण कर सकते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की गारंटी प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 19(2) और 19(3) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि सहित विभिन्न आधारों पर उपर्युक्त अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करते हैं।

## आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs: CCEA) ने प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों (Natural Gas Marketing Reforms) को स्वीकृति प्रदान की

- स्वीकृत सुधार हैं:
  - गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में विक्रय की जाने वाली गैस के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए मानक प्रक्रिया निर्धारित करना।
  - ❖ हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (Director General of Hydrocarbon) बाजार के मूल्यों का पता लगाने का एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीका प्रदान करने के लिए ई-बोली (e-bidding) प्लेटफॉर्म का सुझाव देंगे।
  - बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संबद्ध कंपनियों (संबंधित गैस कंपनियों न कि उत्पादक) को अनुमति प्रदान करना। इससे गैस बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
  - फरवरी 2019 के पश्चात् स्वीकृत अन्वेषण और क्षेत्र विकास योजनाओं को नियत करने वाली घरेलू गैस उत्पादन कंपनियों को विपणन तथा मूल्य निर्धारण की पूर्ण स्वतंत्रता।
  - ❖ विगत वर्ष सरकार ने घोषणा की थी कि नई गैस खोजों को मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।


### प्राकृतिक गैस के घटक:

- इन सुधारों का उद्देश्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना है।
  - गैस, भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण का लगभग 6.2% (वैश्विक औसत 24%) है। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक इस हिस्से को बढ़ाकर 15% तक करने की है।
  - भारत वर्तमान में प्रतिदिन 84 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर (mmscmd) प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है और लगभग इतना ही आयात करता है। सुधारों से घरेलू गैस उत्पादन में अतिरिक्त 40 mmscmd की वृद्धि होने की अपेक्षा है।



## वर्ष 2020 के रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है

- इस वर्ष का पुरस्कार इमानुएल शॉपॉतिये और जेनिफर ए डचडना को "क्रिस्पर-कास9 (CRISPR-Cas9) स्निपिंग सिज़र्स" नामक एक जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
- क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेसड शॉर्ट पल्लिडोमिक रिपीट्स (CRISPR) एसोसिएटेड प्रोटीन 9 (CRISPR-Cas9) का उपयोग जीन के कार्यों को संशोधित करने हेतु आनुवंशिक कोड को परिवर्तित करने या विशेष स्थानों पर DNA में संशोधन करने के लिए किया जाता है।
  - जीन में किसी व्यक्ति की त्वचा का रंग, लंबाई, बालों का रंग आदि को परिभाषित करने वाली जैव-सूचना समाविष्ट होती है। इन विशेषताओं को जीन में परिवर्तन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे जीन एडिटिंग (Gene editing) के रूप में जाना जाता है।
- यह तकनीक किस प्रकार कार्य करती है?
  - यह DNA रज्जुकों (Strands) पर कट और पेस्ट (cut and paste) प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जिन जेनेटिक कोड को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, उनकी पहचान की जाती है। कास9 प्रोटीन का उपयोग कैंची (scissors) के एक युग्म के रूप में रज्जुकों (Strands) से एक हिस्से को काटने के लिए किया जाता है।
  - शेष बचे रज्जुक (जिससे एक हिस्सा पृथक किया गया है) में स्वयं-क्षतिपूर्ति की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार एक क्षतिग्रस्त DNA रज्जुक को हटाया जा सकता है और यह तकनीक मानव शरीर को स्वस्थ अवस्था में लाने में सहायता प्रदान करती है।
- अनुप्रयोग: मानव भ्रूण में जीन को संपादित करना, फसल के अनुकूलन में सुधार के लिए फसलों के आनुवंशिक कूट (genetic codes) में परिवर्तन करना, कैंसर के उपचार के लिए नई उपचार-तकनीकें सृजित करना, वंशानुगत रोगों का इलाज करना आदि।
  - यह लागत प्रभावी, त्वरित, सरल, सुरक्षित और अधिक सटीक है।
- चिंताएं: वांछित विशेषताओं वाले बच्चों (डिज़ाइनर शिशुओं) को जन्म देने में इस तकनीक के दुरुपयोग की संभावना है।



## अन्य सुर्खियाँ

<p>वर्ष 2020 की निर्धनता और साझा समृद्धि रिपोर्ट (Poverty and shared prosperity 2020 Report)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह विश्व बैंक की द्विवार्षिक रिपोर्ट है।</li> <li>○ इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं हैं:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कोविड-19 के कारण 20 वर्षों में पहली बार वैश्विक चरम निर्धनता (Global extreme poverty) के बढ़ने की संभावना है।</li> <li>➤ यदि महामारी नहीं आई होती, तो वर्ष 2020 में निर्धनता दर में 7.9% की गिरावट हो गई होती। अब वर्ष 2020 में वैश्विक निर्धनता दर बढ़कर 9.2% होने का अनुमान है।</li> <li>➤ भारत के संबंध में, रिपोर्ट में अनुमान के लिए पर्याप्त डेटा के अभाव का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह भी वर्णित किया गया है कि अत्यधिक निर्धनों की सर्वाधिक आबादी भारत में निवास करती है।</li> </ul> </li> </ul>
<p>भारत-जापान के विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता (India-Japan Foreign Ministers' Strategic Dialogue)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ प्रमुख बिंदु                     <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ दोनों पक्षों ने एक साइबर सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया, जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आदि के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा प्रदान करेगा।</li> <li>➤ हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans' Initiative: IPOI) के संपर्क स्तंभ में जापान अग्रणी भागीदार बनने के लिए सहमत हुआ।</li> <li>❖ IPOI को वर्ष 2019 में भारत द्वारा आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षित और सुदृढ़ समुद्री कार्यक्षेत्र के निर्माण के लिए सार्थक प्रयास करना है।</li> </ul> </li> </ul>
<p>ऋण सेवा निलंबन पहल (Debt Service Suspension Initiative: DSSI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ इस पहल का उद्देश्य सर्वाधिक निर्धन देशों को कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव से निपटने में सहायता करने के लिए ऋण-सेवा निलंबन प्रदान करना है।</li> <li>○ यह निर्धन देशों को अपने संसाधनों को महामारी से संघर्ष करने और जीवन की सुरक्षा पर केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करता है।</li> <li>○ इसे विश्व बैंक की विकास समिति (World Bank's Development Committee), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और G20 के वित्त मंत्रियों ने अप्रैल 2020 में समर्थन प्रदान किया था।</li> <li>○ IMF और विश्व बैंक द्वारा DSSI के कार्यान्वयन में सहयोग किया जा रहा है।</li> </ul>
<p>भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ (IBOL) के मध्य समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ (Memorandum of Understanding between Zoological Survey of India (ZSI) and International Barcode of Life (IBOL))</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह DNA बारकोडिंग में आगे के प्रयासों और एक संदर्भ डेटाबेस में व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना करने में सहायता करेगा।</li> <li>➤ DNA बारकोडिंग मानकीकृत जीन अवस्थितियों के एक लघु खंड को अनुक्रमित करके प्रजातियों की पहचान करने में सहायता करता है।</li> <li>○ ZSI को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, भारत में जंतु जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारे ज्ञानवर्द्धन के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण व अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था।</li> <li>○ IBOL (एक कनाडाई गैर-लाभकारी कॉरपोरेशन), जैव-विविधता की सूची, मूल्यांकन और उसके वर्णन हेतु संदर्भ लाइब्रेरी के प्रयोग के लिए आवश्यक वैश्विक संदर्भ डेटाबेस और/या विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल के विस्तार को सक्षम करने हेतु एक शोध गठबंधन है।</li> </ul>
<p>एयरो इंडिया 2021 (Aero India 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ एयरो इंडिया का 13वां संस्करण बेंगलुरु, कर्नाटक में फरवरी 2021 से आयोजित किया जाएगा।</li> <li>○ एयरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन प्रत्येक एकांतर वर्ष में किया जाता है। यह सार्वजनिक एयर शो के साथ एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए प्रमुख प्रदर्शनियों में से एक है।</li> <li>○ यह उद्योग व्यवसायियों को बाजार की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, नए विकास (नई प्रगति) की घोषणा करने और मीडिया कवरेज प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।</li> </ul>
<p>रैपिड एक्शन फोर्स (Rapid Action Force: RAF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ यह एक विशेष बल है, जिसका गठन वर्ष 1992 में दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने, समाज के सभी वर्गों के मध्य विश्वास उत्पन्न करने तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित स्थितियों के प्रबंधन के लिए किया गया था।</li> <li>○ यह एक शून्य-अनुक्रिया बल (zero-response force) है जो अत्यल्प समय में संकट के निवारण का प्रयास करता है, इस प्रकार सामान्य जन के मध्य सुरक्षा और विश्वास की तत्काल भावना सृजित करता है।</li> <li>○ यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय के तहत) की एक विशेष शाखा है।</li> </ul>
<p>मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान (My Ganga My Dolphin campaign)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी के 250 किलोमीटर क्षेत्र में डॉल्फिन की गणना करना है।</li> <li>➤ विगत गणना के अनुसार, भारत में लगभग 2,500 से 3,000 गंगा डॉल्फिन हैं। बांध उनके लिए सबसे बड़े अवरोध हैं, क्योंकि वे उनके प्रवास (आवाजाही) में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।</li> <li>○ गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।</li> <li>➤ यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) की प्रथम अनुसूची के तहत संरक्षित है।</li> <li>➤ IUCN की लाल सूची में "एन्डैन्जर्ड" (संकटग्रस्त) के रूप में सूचीबद्ध है।</li> <li>➤ यह CITES के परिशिष्ट I और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS) के परिशिष्ट II के तहत संरक्षित है।</li> </ul>